AGRASEN CIVIL SERVICES ACADEMY
Where tradition meets innovation

ACSA

1 से 7 जून 2023

साप्ताहिक करेंट अफेयर्स

For

UPSC / RPSC EXAMS

and All Other Competitive

- डूबने की रोकथाम के लिए वैश्विक गठबंधन
- केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क (CLN)
- गोबरधन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल
- पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप
- अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण प्रक्षेपण
- यूपी का परिवार पहचान पोर्टल
- सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट्स मिशन

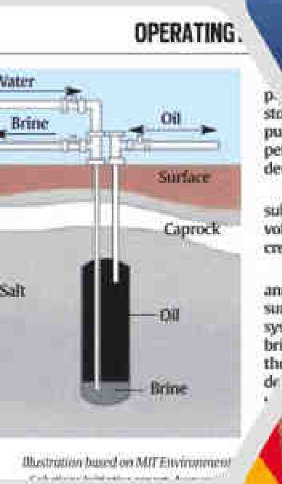

International Labour Organization

A UNIT OF
AGRAWAL PG COLLEGE
Affiliated to University of Rajasthan | Managed by Shri Agrawal Shiksha Samiti
(A Co-Educational College)

+91-8824395504, +91-8290664069
www.acsajaipur.com
Agrasen Katla, Maharaja Agrasen Marg, Agra Road, Jaipur - 302003

Current Affairs 1 to 7 june 2023

Briefs:-

- **डूबने की रोकथाम के लिए वैश्विक गठबंधन**
- **वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का 11वां संस्करण:**
- ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल, 2023
- **मानव स्वास्थ्य पर रसायन, अपशिष्ट और प्रदूषण के प्रभाव पर मसौदा संकल्प**
- **सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना"**
- **ब्राजील का बिल 490**
- **ट्रांस-एक्सक्लूसिव रेडिकल फेमिनिस्ट**
- **केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क (CLN)**
- **फाइजर इंक की आरएसवी वैक्सीन**
- **अहमदनगर जिले का नाम अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर रखा जाएगा**
- **फुकोट करनाली जलविद्युत परियोजना**
- **गोबरधन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल**
- **स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान रिपोर्ट**
- **पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप**
- **राजद्रोह कानून पर विधि आयोग की रिपोर्ट**
- **नमक गुफा आधारित तेल भंडारण सुविधा**
- **हेलमंद नदी विवाद**
- **अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण प्रक्षेपण**
- **यूजीसी (मानित विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023**
- **फार्मास्युटिकल इंस्पेक्शन कन्वेंशन और फार्मास्युटिकल इंस्पेक्शन को-ऑपरेशन स्कीम (PIC/S)**
- **एससीआरए के प्रावधान 23(ई) पर सेबी-सैट गतिरोध**
- **इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या है?**
- **भारतीय रेलवे में पटरी से उतरना**
- **नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना**
- **यूपी का परिवार पहचान पोर्टल**
- **आंतरिक रूप से विस्थापितों पर मिजोरम सरकार की उच्च स्तरीय समिति**
- **NHAI की पहली 'स्थिरता रिपोर्ट'**
- **नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग 2023**
- **अंतरदृष्टि डैशबोर्ड**
- **सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट्स मिशन**

डूबने की रोकथाम के लिए वैश्विक गठबंधन

विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यूएचए) की 76वीं बैठक के दौरान, एक महत्वपूर्ण वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे - डूबने की रोकथाम से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण गठबंधन की स्थापना की गई थी। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में डूबने से होने वाली 90% से अधिक मौतों के साथ, इस गठबंधन का उद्देश्य दुनिया भर में डूबने के प्रभाव का आकलन करना और प्रभावी रोकथाम उपायों को लागू करना है।

डूबने की रोकथाम के लिए वैश्विक गठबंधन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में डूबने के प्रभाव का व्यापक आकलन करना है। वैश्विक स्थिति रिपोर्ट तैयार करके, नीति निर्माता इस मुद्दे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और रोकथाम रणनीतियों के संबंध में सूचित निर्णय ले सकते हैं। गठबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि डूबने की रोकथाम को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंडे पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

कमजोर आबादी पर प्रभाव

डूबने से दुनिया के सबसे गरीब लोग असमान रूप से प्रभावित होते हैं। इसे स्वीकार करते हुए, गठबंधन बढ़ती गरीबी से डूबते जोखिम में असमानताओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार करता है। रोकथाम के उपायों और लक्षित हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करके, गठबंधन का उद्देश्य जीवन को बचाना और कमजोर आबादी की भलाई में सुधार करना है।

वैश्विक संकल्प

बांग्लादेश और आयरलैंड की सरकारों द्वारा प्रस्तुत संकल्प ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के भीतर डूबने से रोकने के लिए सहयोगी प्रयासों का नेतृत्व करने का आह्वान किया।

प्रस्ताव के अनुसार, सदस्य राज्यों से आग्रह किया गया था कि वे अपनी संबंधित राष्ट्रीय डूबने वाली स्थितियों की जांच करें और जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करें।

मसौदा निर्णय ने 2025 में विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यूएचए) के संकल्प के कार्यान्वयन पर प्रगति की रिपोर्ट करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस रिपोर्ट में डूबने की रोकथाम पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट पर अद्यतन शामिल होना चाहिए और कार्य के तेरहवें सामान्य कार्यक्रम के लिए योगदान को उजागर करना चाहिए, 2019-2025 की अवधि को कवर करते हुए।

इसके अलावा, प्रस्ताव ने सिफारिश की कि 2029 की रिपोर्ट में वैश्विक गठबंधन की उपलब्धियों का आकलन और संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों और आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क सहित व्यापक एजेंडा के साथ इसके संरेखण को शामिल किया जाना चाहिए।

डब्ल्यूएचओ महानिदेशक को कॉल करें

प्रस्ताव डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक से डूबने के संदर्भ और जोखिम कारकों पर शोध की सुविधा के लिए अनुरोध करता है। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक को प्रभावी डूबने की रोकथाम के उपायों के अनुकूलन को बढ़ावा देने और मौजूदा रोकथाम कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साक्ष्य-आधारित रणनीतियों के विकास और वैश्विक डूबने की रोकथाम के परिणामों में सुधार के लिए ये प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का 11वां संस्करण:

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने विश्व कार्य रिपोर्ट का अपना 11वां संस्करण जारी किया है, जो अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसा कि दुनिया महामारी के प्रभाव से उबर रही है, रोजगार के अवसरों में असमानताओं को दूर करना और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

ILO के अनुसार, 2023 के लिए अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे गिरकर 5.3% तक पहुंचने की उम्मीद है, जो लगभग 191 मिलियन व्यक्तियों से मेल खाती है। जबकि यह एक सकारात्मक प्रवृत्ति को इंगित करता है, विभिन्न क्षेत्रों और आय समूहों के बीच वसूली की अलग-अलग डिग्री पर विचार करना आवश्यक है।

कम बेरोजगारी दर वाले क्षेत्र

रिपोर्ट में उन क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है जिन्होंने पूर्व-संकट के स्तर से अपनी बेरोजगारी दर को सफलतापूर्वक कम कर लिया है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप, और मध्य और पश्चिमी एशिया ने अपने श्रम बाजारों में लचीलेपन का प्रदर्शन किया है, जिसमें बेरोजगारी दर 6.3% से 6.7% के बीच है, जो एक सकारात्मक सुधार प्रवृत्ति दिखा रहा है।

पेश है जॉब गैप इंडिकेटर

विशेष रूप से विकासशील देशों में रोजगार की अपूर्ण मांग को मापने के लिए, आईएलओ ने एक नया संकेतक पेश किया है जिसे जॉब गैप कहा जाता है। यह सूचक उन सभी व्यक्तियों को शामिल करता है जो रोजगार की इच्छा रखते हैं लेकिन वर्तमान में बेरोजगार हैं। यह विश्व स्तर पर सामना की जाने वाली रोजगार चुनौतियों का एक व्यापक उपाय प्रदान करता है।

कम आय वाले देशों के लिए चुनौतियां

कम आय वाले देशों को नौकरियों के अंतर को बंद करने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि इन देशों में नौकरियों के अंतर की दर चौंका देने वाली 21.5% है। इसके अलावा, यह दर 2005 में 19.1% से बढ़कर 2023 में 21.5% हो गई है, जो लगातार रोजगार की चुनौतियों का सामना करती है।

बढ़ता ऋण स्तर और नीतिगत हस्तक्षेप

बढ़ते कर्ज के स्तर के कारण विकासशील देशों को अतिरिक्त चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जो प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों को लागू करने की उनकी क्षमता को बाधित करता है। यह सीमा जटिल खतरों के प्रति प्रतिक्रिया को बाधित करती है और उच्च आय और निम्न आय वाले देशों के बीच मौजूदा रोजगार विभाजन को मजबूत करती है।

सामाजिक सुरक्षा के लाभ

रिपोर्ट असमानताओं को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सामाजिक सुरक्षा नीतियों के महत्व पर जोर देती है। उदाहरण के लिए, विकासशील देशों में सार्वभौमिक बुनियादी वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने से, एक दशक के भीतर सकल घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति 14.8% की वृद्धि होगी और अत्यधिक गरीबी में 6 प्रतिशत अंकों की महत्वपूर्ण कमी आएगी।

वैश्विक वित्तीय सहायता की आवश्यकता

एक व्यापक वसूली सुनिश्चित करने और रोजगार की खाई को पाटने के लिए, रिपोर्ट रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा के लिए वैश्विक वित्तीय सहायता की वकालत करती है। इन क्षेत्रों में निवेश करके देश अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई को कम करने और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर सकते हैं।

ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल, 2023

Mobile No.- 8824395504, 8290664069
Mail ID-acsajaipur@gmail.com
https://t.me/ACSAJAIPUR4IAS https://www.instagram.com/acsajaipur/ https://www.facebook.com/acsajaipur

भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल, 2023 की शुरुआत के साथ विमानन क्षेत्र में नियमों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस बिल का उद्देश्य डिजाइन, निर्माण, अधिकार, उपयोग, संचालन से संबंधित प्रावधानों को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाना है। विमानों की बिक्री, आयात और निर्यात।

ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल, 2023 भारत में विमान संचालन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के विनियमन और नियंत्रण के लिए एक प्रभावी ढांचा स्थापित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एक सक्रिय उपाय है। यह उद्योग की मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा नियमों को आधुनिक बनाने और सरल बनाने की आवश्यकता को पहचानता है।

मौजूदा विमान अधिनियम, 1934 की समीक्षा

नए बिल का मसौदा तैयार करने से पहले, मौजूदा कानून, 1934 के विमान अधिनियम की व्यापक समीक्षा की गई थी। इस मूल्यांकन का उद्देश्य अतिरेक की पहचान करना, कमियों को दूर करना और विकसित विमानन परिदृश्य के साथ विनियमों को संरेखित करना है।

सार्वजनिक परामर्श अवधि

एक सहभागी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने और विविध दृष्टिकोणों को इकट्ठा करने के लिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल, 2023 पर सार्वजनिक परामर्श आमंत्रित किया है। परामर्श की अवधि 30 दिनों तक होती है, जिससे हितधारकों और जनता को बहुमूल्य प्रतिक्रिया और सुझाव प्रदान करने की अनुमति मिलती है।

नागरिक उड्डयन बाजार में विकास को बढ़ावा देना

भारत का नागरिक उड्डयन बाजार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में से एक है। ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल, 2023 इस वृद्धि का समर्थन करने में मजबूत नियमों के महत्व को पहचानता है। विमान के डिजाइन, निर्माण, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात और निर्यात के लिए बेहतर प्रावधान प्रदान करके, बिल विमानन उद्योग के फलने-फूलने के लिए अनुकूल वातावरण की सुविधा प्रदान करता है।

प्रस्तावना का महत्व

ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल, 2023 की प्रस्तावना इसके उद्देश्यों के लिए मंच तैयार करती है। यह विमानन के विभिन्न पहलुओं को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए व्यापक प्रावधानों की आवश्यकता पर बल देता है। इसमें विमान के डिजाइन, निर्माण, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात और निर्यात से जुड़े मामले शामिल हैं, जो विमानन विनियमन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हैं।

मानव स्वास्थ्य पर रसायन, अपशिष्ट और प्रदूषण के प्रभाव पर मसौदा संकल्प

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सदस्य राष्ट्रों ने मानव स्वास्थ्य पर रसायनों, अपशिष्ट और प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को पहचाना है। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान इस वैश्विक मुद्दे से निपटने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था।

संकल्प स्वीकृति: मानव स्वास्थ्य पर रसायन, अपशिष्ट और प्रदूषण

संकल्प का प्राथमिक ध्यान मानव स्वास्थ्य पर रसायनों, अपशिष्ट और प्रदूषण के प्रभाव को संबोधित करना है। यह संकल्प इन कारकों के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के उपायों को लागू करने की अत्यावश्यकता पर बल देता है।

अद्यतन रिपोर्ट के लिए सहयोग

Mobile No.- 8824395504, 8290664069
Mail ID-acsajaipur@gmail.com
https://t.me/ACSAJAIPUR4IAS https://www.instagram.com/acsajaipur/ https://www.facebook.com/acsajaipur

विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को अंतःस्रावी विघटनकारी रसायन रिपोर्ट के विज्ञान की स्थिति को सहयोग और अद्यतन करने का आग्रह किया गया है। मूल रूप से 2012 में प्रकाशित, यह रिपोर्ट इन रसायनों से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य करती है।

संकल्प चिंता के कई रसायनों की पहचान करता है, जिनमें कैडमियम, सीसा, पारा, अत्यधिक खतरनाक कीटनाशक और अंतःस्रावी-विघटनकारी रसायन शामिल हैं। ये पदार्थ प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों से जुड़े हुए हैं और व्यक्तियों और समुदायों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं।

विकासशील देशों पर प्रभाव

विकासशील देश रासायनिक जोखिम के परिणामस्वरूप होने वाली बचपन की मृत्यु, बीमारियों और अक्षमता का अनुपातहीन बोझ वहन करते हैं। सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को हल करने और कमजोर आबादी की भलाई को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है।

रसायन, अपशिष्ट और प्रदूषण के संबंध में स्वास्थ्य प्राथमिकताएं

संकल्प स्वास्थ्य प्राथमिकताओं की परस्पर प्रकृति को स्वीकार करता है और रसायनों, अपशिष्ट और प्रदूषण के संदर्भ में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, रोगाणुरोधी प्रतिरोध और पर्यावरण संबंधी बीमारियों पर विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इन जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

निगरानी और रिपोर्टिंग प्रगति

संकल्प के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, 2027 और 2029 में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ये रिपोर्ट मानव स्वास्थ्य पर रसायनों, अपशिष्ट और प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए किए गए उपायों और उनके प्रभाव का आकलन प्रदान करेंगी।

गैर-संचारी रोगों के बारे में चिंता

संकल्प में व्यक्त की गई दीर्घकालिक चिंताओं में से एक रासायनिक कचरे के खराब प्रबंधन के परिणामस्वरूप गैर-संचारी रोगों का बढ़ता प्रसार है। यह बढ़ते कचरे के उत्पादन को देखते हुए इन बीमारियों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए सक्रिय उपाय करने के महत्व को रेखांकित करता है।

एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण अपनाना

मानव स्वास्थ्य निहितार्थों पर रिपोर्ट में एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर विचार करने की उम्मीद है। यह दृष्टिकोण जटिल स्वास्थ्य चुनौतियों को व्यापक रूप से संबोधित करने के उद्देश्य से मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की परस्पर संबद्धता को पहचानता है।

डेटा संग्रह में कारक

डेटा संग्रह प्रयासों में लिंग, आयु, अक्षमता, और विभिन्न अंग प्रणालियों पर पदार्थों के हानिकारक प्रभावों सहित विभिन्न कारकों को शामिल किया जाना चाहिए। यह व्यापक दृष्टिकोण कमजोर समूहों की पहचान करने और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करने में मदद करेगा।

सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना”

Mobile No.- 8824395504, 8290664069
Mail ID-acsajaipur@gmail.com

भारत, अपनी कृषि शक्ति के लिए जाना जाता है, अपनी खाद्यान्न भंडारण क्षमता में क्रांति लाने के लिए एक स्मारकीय योजना पर काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक योजना को मंजूरी दी है जो सहकारी क्षेत्र में भंडारण क्षमता को 70 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए ₹1 ट्रिलियन आवंटित करेगी। सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना बनने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य किसानों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना और देश की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है।

भारत में वर्तमान अनाज भंडारण क्षमता 145 मिलियन टन है। विस्तार की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, सरकार ने क्षमता को अतिरिक्त 70 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है, जो अगले पांच वर्षों में प्रभावशाली 215 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। भंडारण क्षमता में यह उल्लेखनीय वृद्धि भोजन की बर्बादी को कम करने और किसानों के लिए बेहतर योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सहकारिता क्षेत्र अग्रणी है

इस योजना की विशिष्ट विशेषताओं में से एक सहकारी क्षेत्र के भीतर इसका कार्यान्वयन है। इसका अर्थ है कि सहकारी समितियों के पास देश भर में विकेंद्रीकृत भंडारण सुविधाएं स्थापित करने का अवसर होगा। सहकारी समितियों की शक्ति का लाभ उठाकर, भारतीय खाद्य निगम (FCI) पर बोझ कम किया जाएगा, सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाएगा और खाद्यान्नों के भंडारण और वितरण में बेहतर दक्षता सुनिश्चित की जाएगी।

निर्बाध कार्यान्वयन के लिए पायलट परियोजना

निर्बाध और प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दस चयनित जिलों में एक पायलट परियोजना शुरू करेगा। यह सामरिक दृष्टिकोण क्षेत्रीय आवश्यकताओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, जिससे कार्यक्रम के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन में स्थानीय आवश्यकताओं के एकीकरण को सक्षम किया जा सकेगा। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करके, सरकार का लक्ष्य भंडारण क्षमता योजना के प्रभाव को अनुकूलित करना है।

क्रेडिट सोसाइटीज को वाइब्रेंट एंटरप्राइजेज में बदलना

सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को फलते-फूलते और समृद्ध व्यावसायिक उद्यमों में बदलने के उद्देश्य से एक व्यापक रणनीति तैयार की है। ये पैक्स भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, बर्बादी को कम करने और किसानों की आय में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देश के समग्र कृषि परिदृश्य को बढ़ाने के लिए पैक्स स्तर पर गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों सहित कृषि-बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जाएगा।

विकास सहयोग के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना

बहुपक्षीय सहयोग के महत्व को स्वीकार करते हुए, भारत नई दिल्ली में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा। यह कार्यालय यूपीयू के विकास सहयोग को सुगम बनाएगा और क्षेत्र में तकनीकी सहायता गतिविधियां उपलब्ध कराएगा। इस सहयोग के माध्यम से, भारत का उद्देश्य डाक सेवाओं को बढ़ाना, दक्षता में सुधार करना, ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना और क्षेत्र में व्यापार पहलों का समर्थन करना है।

ब्राजील का बिल 490

देश के चैंबर ऑफ डेप्युटीज द्वारा एक नए भूमि विधेयक के अनुमोदन के जवाब में पूरे ब्राजील में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बिल, जिसे बिल 490 के नाम से जाना जाता है, स्वदेशी लोगों के लिए पैतृक भूमि की मान्यता पर प्रतिबंध लगाता है। इस कदम से आदिवासी समुदायों और उनके समर्थकों में आक्रोश और विरोध छिड़ गया है।

चैंबर ऑफ डेप्युटी में बिल 490 को 283 से 155 के वोट से मंजूरी दी गई थी। इस परिणाम ने तनाव बढ़ा दिया है और ब्राजील में भूमि अधिकारों और स्वदेशी संप्रभुता पर पहले से मौजूद विवादों को बढ़ा दिया है।

भूमि पहचान की स्थिति

नए कानून के तहत, आदिवासी लोग केवल उस भूमि के लिए मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर वे 1988 के संविधान से पहले से कब्जा कर रहे हैं। यह शर्त स्वदेशी समुदायों की अपनी पैतृक भूमि पर दावा करने की क्षमता को प्रतिबंधित करती है, जिसे वे अपने सांस्कृतिक संरक्षण और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं।

विशेषज्ञों द्वारा चिंता व्यक्त की गई

नए कानून को लेकर विशेषज्ञों ने कई चिंताएं जताई हैं। एक प्रमुख चिंता भूमि के शोषण, वनों की कटाई और हिंसा के प्रति आदिवासी समुदायों की बढ़ती भेद्यता है। भूमि की मान्यता को सीमित करके, कानून भूमि शार्क और प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए द्वार खोलता है, जो संभावित रूप से निवास स्थान के नुकसान और पर्यावरणीय गिरावट का कारण बनता है।

पूर्व परामर्श का अभाव

वर्षावन और जनजातीय अधिकारों पर केंद्रित एक गैर-लाभकारी संगठन अमेज़न वॉच ने बिल के पारित होने से पहले पूर्व परामर्श की कमी की आलोचना की है। उनका तर्क है कि स्वदेशी समुदायों के साथ सार्थक संवाद की अनुपस्थिति अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन करती है और स्वदेशी लोगों के अधिकारों को कमजोर करती है।

अमेज़न वर्षावन में पुश्तैनी भूमि

पैतृक भूमि माने जाने वाले अधिकांश जनजातीय क्षेत्र अमेज़न वर्षावन में स्थित हैं। ये क्षेत्र स्वदेशी समुदायों के लिए अत्यधिक सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व रखते हैं, जो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं।

वैश्विक आलोचना और एकजुटता

बिल को वैश्विक समुदाय की आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसने ब्राजील की प्रभावित जनजातियों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। कई लोग कानून को अंतरराष्ट्रीय मानकों के उल्लंघन के रूप में देखते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 169 और स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा शामिल है।

ट्रांस-एक्सक्लूसिव रेडिकल फेमिनिस्ट

लैंगिक-आलोचनात्मक नारीवादी अकादमिक, डॉ कैथलीन स्टॉक की विशेषता वाले ऑक्सफोर्ड यूनियन टॉक को ट्रांस-राइट एक्टिविस्ट्स के विरोध और विरोध के साथ मिला। जैविक सेक्स और लिंग पहचान पर अपने विचारों के लिए जानी जाने वाली डॉ स्टॉक, नारीवाद के आसपास की चर्चाओं में एक प्रमुख व्यक्ति रही हैं।

लिंग-महत्वपूर्ण नारीवाद, जिसे पहले टीईआरएफ के रूप में जाना जाता था, लिंग पहचान पर जैविक सेक्स के महत्व पर जोर देता है। इस विचारधारा से जुड़े अन्य लोगों के साथ डॉ. कैथलीन स्टॉक का तर्क है कि लैंगिक पहचान को मान्यता देना महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई को कमजोर करता है। उनका तर्क है कि महिलाओं के अनुभव और संघर्ष उनके जैविक सेक्स में निहित हैं और इसे इससे अलग नहीं किया जा सकता है।

टीईआरएफ शब्द की उत्पत्ति और धारणा

संयुक्त राज्य अमेरिका में 1970 के नारीवादी आंदोलन के दौरान ट्रांस-एक्सक्लूसिव रेडिकल फेमिनिस्ट (टीईआरएफ) का उदय हुआ। प्रारंभ में एक तटस्थ विवरण के रूप में अभिप्रेत था, यह शब्द विकसित हुआ है और अब इसे व्यापक रूप से अपमानजनक और

गाली के रूप में माना जाता है। इसके नकारात्मक अर्थों के जवाब में, लिंग-आलोचनात्मक नारीवाद शब्द को अब इस परिप्रेक्ष्य को संदर्भित करने के अधिक स्वीकार्य तरीके के रूप में पसंद किया जाता है।

चुनौतियां और आलोचनाएं

कार्यकर्ताओं का तर्क है कि लिंग-आलोचनात्मक नारीवादियों द्वारा लिंग को एक स्पेक्ट्रम के रूप में स्वीकार करने से इनकार LGBTQIA+ आंदोलन के लिए एक झटका है। वे दावा करते हैं कि सेक्स की इस कठोर समझ को ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और नीतियों तक पहुंच से वंचित करने के लिए हथियार बनाया जा सकता है, जबकि उनके प्रति गलत धारणा की संभावना भी बढ़ जाती है। आलोचक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि लैंगिक पहचान और व्यक्तियों के विविध अनुभवों को पहचानने से महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई कम नहीं होती है, बल्कि लैंगिक मुद्दों की समझ व्यापक होती है।

प्रमुख आंकड़े और विवाद

हैरी पॉटर श्रृंखला की प्रसिद्ध लेखिका जेके राउलिंग ने लिंग-महत्वपूर्ण नारीवाद के साथ संरेखित विचार व्यक्त किए हैं। उनके रुख ने विवाद और बहस छेड़ दी है, कुछ ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी प्रशंसा की और दूसरों ने कथित तौर पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नारीवादी प्रवचन से बाहर करने के लिए उनकी आलोचना की।

संतुलन दृष्टिकोण

लिंग-महत्वपूर्ण नारीवाद और ट्रांसजेंडर अधिकारों के साथ इसके संबंध के बारे में चर्चा जटिल और बहुआयामी है। अलग-अलग दृष्टिकोणों और सीमांत समुदायों पर संभावित प्रभाव की समझ के साथ इन बहसों को देखना महत्वपूर्ण है। प्रवचन को समावेशिता, सहानुभूति और मानवाधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए।

केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क (CLN)

भारत हाल ही में केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क (सीएलएन) का सदस्य बन गया है, जो वैश्विक सहयोग है जिसका उद्देश्य महामारी और महामारी रोग के प्रकोप के दौरान टीकों का परीक्षण करना है। सीएलएन, जो गठबंधन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस (सीईपीआई) का हिस्सा है, में 13 देशों के 15 पार्टनर फैसिलिटी शामिल हैं।

भारत, चिकित्सा अनुसंधान में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है, केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हो गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (आईसीएमआर-एनआईवी) उभरती संक्रामक बीमारियों के टीकों के परीक्षण में वैश्विक प्रयासों में योगदान देने वाले नए सदस्यों में से एक है।

सीएलएन का उद्देश्य

सीएलएन का प्राथमिक उद्देश्य महामारी और महामारी के प्रकोप के दौरान संभावित टीकों का कठोर परीक्षण करना है। मानकीकृत तरीकों और सामग्रियों की स्थापना करके, सीएलएन यह सुनिश्चित करता है कि आगे के विकास के लिए सबसे आशाजनक विकल्पों की पहचान करते हुए, वैक्सीन उम्मीदवारों का तेजी से और सटीक मूल्यांकन किया जाए।

CEPI के भीतर भूमिका

गठबंधन के लिए महामारी तैयारी नवाचार (सीईपीआई) के हिस्से के रूप में, सीएलएन उभरती संक्रामक बीमारियों के खिलाफ टीकों के विकास में तेजी लाने के लिए सीईपीआई के मिशन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परीक्षण प्रक्रियाओं को मानकीकृत करके, सीएलएन प्रभावी मूल्यांकन और वैक्सीन उम्मीदवारों की तुलना की सुविधा प्रदान करता है, सीईपीआई को सबसे व्यवहार्य विकल्पों की पहचान करने में सहायता करता है।

Mobile No.- 8824395504, 8290664069
Mail ID-acsajaipur@gmail.com
https://t.me/ACSAJAIPUR4IAS https://www.instagram.com/acsajaipur/ https://www.facebook.com/acsajaipur

सीएलएन का विस्तार

KAVI इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च (KAVI ICR) और यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एंड इंफेक्शियस डिजीज (UNITID), केन्या के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका के Synexa Life Sciences, CLN के कुछ अन्य सदस्य हैं। यह विस्तार नेटवर्क की वैश्विक पहुंच और विशेषज्ञता को बढ़ाता है।

सीईपीआई-वित्तपोषित नेटवर्क के उद्देश्य

सीईपीआई-वित्त पोषित नेटवर्क, जिसमें सीएलएन शामिल है, का दोहरा फोकस है। सबसे पहले, इसका उद्देश्य उभरती संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए उच्चतम क्षमता वाले टीका उम्मीदवारों की पहचान करना है। दूसरा, नेटवर्क टिकाऊ क्षेत्रीय प्रकोप तैयारियों के बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करता है। सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देकर, नेटवर्क भविष्य के प्रकोपों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए वैश्विक तैयारी को मजबूत करता है।

भारत-यूरोपीय संघ वैश्विक गेटवे सम्मेलन

विदेश मंत्रालय, भारत में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल और एशियाई संगम भारत-यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन आयोजित करने के लिए एक साथ आए हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और इसके पड़ोसी देशों में कनेक्टिविटी निवेश को बढ़ावा देने के अवसरों का पता लगाना है।

मेघालय में होने वाला भारत-यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन, संपर्क बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह भारत-यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारी का परिणाम है जिसे मई 2021 में भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक के दौरान शुरू किया गया था।

डिजिटल, ऊर्जा और परिवहन पर ध्यान दें

सम्मेलन तीन स्तंभों के इर्द-गिर्द घूमेगा: डिजिटल, ऊर्जा और परिवहन। इन क्षेत्रों में अवसरों की खोज करके, सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त कार्यान्वयन के लिए ठोस परियोजनाओं की पहचान करना है। यह इंडो-पैसिफिक में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ की रणनीति में उल्लिखित प्राथमिकताओं के अनुरूप है, जो स्थायी और समावेशी समृद्धि, हरित संक्रमण, महासागर शासन, डिजिटल प्रशासन और साझेदारी, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और रक्षा और मानव सुरक्षा पर जोर देती है।

नेतृत्व और सहयोग

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड कोंगकल संगमा और विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह भारत-यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन का नेतृत्व करेंगे। भारत सरकार, यूरोपीय संघ आयोग, और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी क्षेत्रीय सहयोग और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

ग्लोबल गेटवे का महत्व

ग्लोबल गेटवे, €300 बिलियन की अंतर्राष्ट्रीय निवेश परियोजना, सम्मेलन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। नेबरहुड, डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट (NDICI) -ग्लोबल यूरोप, इन्वेस्टईयू और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूरोपियन फंड जैसे विभिन्न उपकरणों के माध्यम से यूरोपीय संघ की पर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धता, वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फिर से आकार देने के उनके दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करती है।

चुनौतियों का मुकाबला करना और साझेदारी बनाना

Mobile No.- 8824395504, 8290664069
Mail ID-acsajaipur@gmail.com
https://t.me/ACSAJAIPUR4IAS https://www.instagram.com/acsajaipur/ https://www.facebook.com/acsajaipur

ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव में भारत के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक फंडिंग का पैमाना और सीमा है। हालाँकि, पहल आपसी विकास लक्ष्यों को संरेखित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और चीन द्वारा कार्यान्वित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के समस्याग्रस्त पहलुओं का मुकाबला करने का अवसर प्रस्तुत करती है। ग्लोबल गेटवे में भारत की भागीदारी यूरोपीय संघ के देशों के संघ के सहयोग से बड़े पैमाने की परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की अनुमति देगी।

जबकि ग्लोबल गेटवे पहल अभी भी प्रगति पर है, भारत-यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन के दौरान होने वाली चर्चाओं से वित्तपोषण तंत्र जैसे प्रमुख मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी। कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे के निर्माण और क्षेत्रीय साझेदारी पर जोर आर्थिक कूटनीति और भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है

फाइजर इंक की आरएसवी वैक्सीन

यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने हाल ही में वृद्ध वयस्कों के लिए फाइजर इंक के रेस्पिरेटरी सिन्सिटियल वायरस (आरएसवी) वैक्सीन के लिए मंजूरी दे दी है। यह आरएसवी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण विकास है, जो एक सामान्य श्वसन रोग है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक गंभीर खतरा है।

फाइजर इंक के आरएसवी वैक्सीन को एफडीए की मंजूरी मिल गई है, जिससे यह इस श्वसन रोग से निपटने के लिए अधिकृत दूसरा टीका बन गया है। यह निर्णय जीएसके पीएलसी द्वारा इसी तरह के टीके के पूर्व अनुमोदन के बाद लिया गया है, जिसमें आरएसवी के खिलाफ प्रभावी निवारक उपाय प्रदान करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है।

रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस (RSV) को लक्षित करना

स्वीकृत वैक्सीन का उद्देश्य रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस (RSV) से सुरक्षा प्रदान करना है। आरएसवी एक सामान्य श्वसन वायरस है जिसे ज्यादातर मामलों में हल्के, ठंडे जैसे लक्षणों के लिए जाना जाता है। हालांकि, यह विशेष रूप से शिशुओं और वृद्ध वयस्कों के लिए गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है, जिससे इस कमजोर आबादी के लिए टीकाकरण महत्वपूर्ण हो जाता है।

अनुशंसित आयु समूह

फाइजर का आरएसवी टीका विशेष रूप से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए स्वीकृत है। यह जीएसके पीएलसी द्वारा विकसित पहले से स्वीकृत टीके द्वारा लक्षित आयु समूह के साथ संरेखित है। इस जनसांख्यिकीय पर ध्यान केंद्रित करके, टीके का उद्देश्य उन वृद्ध वयस्कों की सुरक्षा करना है, जिन्हें RSV से संबंधित गंभीर जटिलताओं का सामना करने का अधिक जोखिम है।

कमजोर की रक्षा करना

शिशुओं और वृद्ध वयस्कों को आरएसवी के गंभीर प्रभावों के लिए विशेष रूप से अतिसंवेदनशील होते हैं। इस कारण से, इन जोखिम वाले व्यक्तियों की सुरक्षा में टीकाकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वृद्ध वयस्कों के लिए फाइजर के आरएसवी वैक्सीन को एफडीए की मंजूरी गंभीर श्वसन जटिलताओं और संभावित घातक परिणामों को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अहमदनगर जिले का नाम अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर रखा जाएगा

महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में हाल ही में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है क्योंकि इसे अब एक नए नाम पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होल्कर के नाम से जाना जाता है।

अहिल्याबाई होल्कर: शक्ति और नेतृत्व की प्रतीक

Mobile No.- 8824395504, 8290664069
Mail ID-acsajaipur@gmail.com
https://t.me/ACSAJAIPUR4IAS https://www.instagram.com/acsajaipur/ https://www.facebook.com/acsajaipur

मनकोजी शिंदे की पुत्री अहिल्याबाई होल्कर एक महान हस्ती हैं जो अपने अदम्य साहस और असाधारण नेतृत्व के लिए जानी जाती हैं। उनका जीवन कई लोगों के लिए प्रेरणा है और उनके योगदान ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है।

अहिल्याबाई होल्कर की यात्रा

मल्हार राव होल्कर के बेटे खांडे राव से शादी करने के बाद अहिल्याबाई के जीवन में एक नया मोड़ आया। अपने पति की मृत्यु के बाद, उसने मालवा राज्य की कमान संभाली। अहिल्याबाई का शासन 1765 से 1795 तक उल्लेखनीय तीस वर्षों तक चला। अपने शासनकाल के दौरान, उन्होंने महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सामाजिक सुधार किए, जिससे समृद्धि और व्यवस्था की अवधि बढ़ी।

अहिल्याबाई होल्कर और मंदिर जीर्णोद्धार

अहिल्याबाई होल्कर के उल्लेखनीय योगदानों में से एक हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार में उनकी सक्रिय भागीदारी थी। प्राचीन धार्मिक स्थलों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने की उनकी प्रतिबद्धता को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। 1783 में, उन्होंने शानदार सोमनाथ मंदिर का निर्माण शुरू किया, जो उनकी भक्ति और संरक्षण के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा है।

अहमदनगर जिले का नामकरण

अहमदनगर जिले का नाम बदलकर पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होल्कर करने का निर्णय अहिल्याबाई की विरासत को सम्मान देने की सरकार की इच्छा को दर्शाता है। जिले को उसका नाम देकर, सरकार का उद्देश्य जिले का दर्जा ऊंचा करना और इस असाधारण शासक की उल्लेखनीय उपलब्धियों को श्रद्धांजलि देना है।

सलाह के लिए राष्ट्रीय मिशन

शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों के विकास को समर्थन देने के निरंतर प्रयास में, परामर्श के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएम) की स्थापना की गई थी। हाल ही में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

सलाह के माध्यम से सतत व्यावसायिक विकास

सलाह के लिए राष्ट्रीय मिशन का प्राथमिक उद्देश्य सलाह के माध्यम से स्कूल के शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास की सुविधा प्रदान करना है। शिक्षकों के लिए चल रहे समर्थन और मार्गदर्शन के महत्व को स्वीकार करते हुए, NMM का उद्देश्य परामर्श की एक मजबूत प्रणाली बनाना है जो शिक्षकों को उनकी शिक्षण प्रथाओं और कक्षा में समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सशक्त बनाती है।

NMM का पायलट लॉन्च

एनएमएम को 29 जुलाई 2022 को पायलट मोड में लॉन्च किया गया था। इस प्रारंभिक चरण के हिस्से के रूप में, कार्यक्रम को लागू करने और इसके भविष्य के विस्तार और शोधन के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए कुछ चुनिंदा केंद्रीय विद्यालयों को चुना गया था।

केंद्रीय विद्यालयों का चयन

एनएमएम के पायलट मोड में भाग लेने के लिए कुल 30 केंद्रीय विद्यालयों का चयन किया गया था। इनमें 15 केंद्रीय विद्यालय (केवी), 10 जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) और 5 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूल शामिल थे। इस विविध चयन ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और पृष्ठभूमि से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया।

लॉन्च और क्षमता निर्माण कार्यशाला

नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) ने एनएमएम को पायलट मोड में लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लॉन्च के हिस्से के रूप में, एनसीटीई द्वारा दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण पेशेवर सहायता प्रदान करना और उन्हें अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सलाह कौशल से लैस करना था।

सफल परामर्श सत्र में शिक्षकों की जिम्मेदारी

NMM वेब पोर्टल का उपयोग करके सफल सलाह सत्र आयोजित करने में शिक्षक स्वयं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंच के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर और उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाकर, शिक्षक निरंतर सीखने और सुधार की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। एनएमएम वेब पोर्टल शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और उनकी शिक्षण पद्धतियों पर विचार करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में कार्य करता है।

विशेषज्ञ परामर्शदाता ऑनबोर्ड किए गए

एनएमएम की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न डोमेन में विशेषज्ञता वाले 60 उत्कृष्ट पेशेवरों को परामर्शदाता के रूप में शामिल किया गया था। इन मेंटर्स के पास निर्देशात्मक नेतृत्व, डिजिटल शिक्षा, सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, व्यावसायिकता और नैतिकता, कक्षा प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और कौशल हैं। उनकी सामूहिक विशेषज्ञता शिक्षकों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप विविध प्रकार की सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती है।

फुकोट करनाली जलविद्युत परियोजना

एक महत्वपूर्ण सहयोग में, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) और विद्युत उत्पादन कंपनी (VUCL) ने फुकोट करनाली जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की स्थापित क्षमता 480 मेगावाट होने की उम्मीद है। यह पर्याप्त क्षमता सालाना लगभग 2,448 GWh बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगी। परियोजना का उद्देश्य पनबिजली शक्ति का उपयोग करने और क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों में योगदान करने के लिए करनाली नदी के प्रवाह का लाभ उठाना है।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

फुकोट करनाली परियोजना में कई प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं जो इसके सफल संचालन के लिए आवश्यक हैं। इनमें 109 मीटर ऊंचा आरसीसी बांध, एक भूमिगत बिजलीघर और 79 मेगावाट की क्षमता वाले 6 टर्बाइनों की स्थापना शामिल है। इसके अतिरिक्त, परियोजना में 6 मेगावाट की क्षमता वाला एक सरफेस पावर हाउस शामिल करने की योजना है, जिसमें न्यूनतम पर्यावरणीय रिलीज का उपयोग किया गया है और इसमें प्रत्येक 3 मेगावाट की दो मशीनें शामिल हैं।

पीकिंग रन-ऑफ-रिवर योजना

फुकोट करनाली परियोजना को पीकिंग रन-ऑफ-रिवर (पीआरओआर) प्रकार की योजना के रूप में डिजाइन किया गया है। यह योजना उच्च-प्रवाह अवधि के दौरान पानी का भंडारण करके और चरम मांग अवधि के दौरान इसे जारी करके नदी के प्रवाह विविधताओं के इष्टतम उपयोग की अनुमति देती है। यह नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव को कम करते हुए एक स्थिर और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

करनाली नदी का उपयोग

फुकोट करनाली परियोजना का बिजली उत्पादन करनाली नदी के प्रवाह से सुगम होगा। नदी के जल संसाधनों का उपयोग करके, परियोजना का लक्ष्य स्थायी ऊर्जा उत्पादन में योगदान देना और क्षेत्र में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करना है।

एनएचपीसी और वीयूसीएल: भूमिकाएं और स्थिति

एनएचपीसी, 'मिनीरत्न' का दर्जा प्राप्त एक प्रमुख सरकारी उद्यम है, जिसके पास जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में विशेषज्ञता है। इसके विपरीत, VUCL के पास नेपाल में महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाओं के विकास, निर्माण, स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी है, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग के एक मॉडल के भीतर काम कर रहे हैं। साथ में, NHPC और VUCL का उद्देश्य फुकोट करनाली जलविद्युत परियोजना के विकास को बढ़ावा देना और भारत और नेपाल के बीच बिजली क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है।

गोबरधन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में भारत में बायोगैस क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अग्रणी पहल 'गोबरधन' के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल का अनावरण किया।

'गोबरधन' के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल बायोगैस या कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) क्षेत्र में निवेश के अवसरों और भागीदारी का मूल्यांकन करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है। मुख्य उद्देश्य पूरे देश में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल और अनुकूल बनाना है।

सरकारी, सहकारी और निजी संस्थाओं के लिए पंजीकरण

एकीकृत पंजीकरण पोर्टल भारत में बायोगैस, सीबीजी, या बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित करने या स्थापित करने के इच्छुक किसी भी सरकारी, सहकारी या निजी संस्था को एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह पंजीकरण संख्या बायोगैस क्षेत्र में शामिल संस्थाओं के लिए एक प्रमुख पहचानकर्ता के रूप में कार्य करती है, जो भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों से विभिन्न लाभों और सहायता तक उनकी सहभागिता और पहुंच की सुविधा प्रदान करती है।

गोबरधन पहल का उद्देश्य

गोबरधन पहल के केंद्र में कचरे को धन और ऊर्जा में बदलने का उद्देश्य निहित है। मवेशियों के गोबर, कृषि अवशेषों और अन्य जैव अपशिष्ट जैसे जैविक अपशिष्ट पदार्थों की क्षमता का उपयोग करके, पहल का उद्देश्य बायोगैस, सीबीजी और जैव उर्वरक उत्पन्न करना है। यह एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप है, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा देता है।

कार्यक्षेत्र और कार्यान्वयन

गोबरधन पहल में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के तहत योजनाओं और कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इनमें वेस्ट टू एनर्जी स्कीम, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT) स्कीम, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज II, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और एनिमल हसबेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड शामिल हैं। व्यापक दृष्टिकोण राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र, उद्यमियों और समाजों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करता है।

लाभ और समर्थन के लिए शर्त

केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभ और समर्थन प्राप्त करने के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल पर नई परियोजनाओं को पंजीकृत करना एक पूर्वापेक्षा है। यह आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि बायोगैस क्षेत्र में भाग लेने वाली संस्थाएँ सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उपलब्ध सहायता और प्रोत्साहनों का उपयोग कर सकें, जिससे उनकी पहल का प्रभाव अधिकतम हो सके।

परिपत्र अर्थव्यवस्था और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

गोबरधन पहल एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहां अपशिष्ट पदार्थों को मूल्यवान संसाधनों में बदल दिया जाता है। जैविक कचरे को बायोगैस, सीबीजी और जैव उर्वरकों में परिवर्तित करके, पहल टिकाऊ आर्थिक विकास में योगदान करते हुए अपशिष्ट प्रबंधन चुनौतियों का समाधान करती है। यह पर्यावरणीय स्थिरता और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

गोबरधन के तहत पात्र आउटपुट

गोबरधन के दायरे में, सीबीजी/बायोगैस (10 घन मीटर/दिन से अधिक) और बायो स्लरी का उत्पादन करने वाला कोई भी संयंत्र या परियोजना मुख्य उत्पादन के रूप में भागीदारी के लिए पात्र है। यह समग्रता विभिन्न प्रकार के हितधारकों को पहल में शामिल होने और बायोगैस क्षेत्र के सतत विकास में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान रिपोर्ट

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में जल जीवन मिशन: स्वच्छ जल से सुरक्षा (एसजेएसएस) अभियान के दौरान की गई प्रगति का विवरण देते हुए रिपोर्ट का अनावरण किया। यह अभियान 2 अक्टूबर, 2022 और 31 मार्च, 2023 के बीच चला, जिसका प्राथमिक उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से पानी की गुणवत्ता की निगरानी और निगरानी के प्रयासों को प्राथमिकता देने और सक्रिय रूप से शामिल करने का आग्रह करना था।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) ने सुरक्षित जल आपूर्ति प्रदान करने के महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित किया। जेजेएम के तहत प्रमुख विचार "सुरक्षित जल की आपूर्ति" के इर्द-गिर्द घूमते हैं। इसने यह सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया कि प्रत्येक घर को ऐसा पानी मिले जो संदूषण से मुक्त हो और निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करता हो।

गांवों में जल गुणवत्ता परीक्षण

एसजेएसएस अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक गांवों में आयोजित व्यापक जल गुणवत्ता परीक्षण था। उल्लेखनीय 5.39 लाख गाँवों ने, जो कुल का 89.69% है, रासायनिक मापदंडों के लिए परीक्षण की सूचना दी, जबकि 4.47 लाख गाँवों (74.46%) ने बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण के लिए परीक्षण किया, विशेष रूप से मानसून के बाद।

स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल के नमूनों की जांच

बच्चों के बीच सुरक्षित पानी की खपत को बढ़ावा देने के प्रयास में, एसजेएसएस अभियान ने स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पीने के पानी के नमूनों के परीक्षण पर जोर दिया। कुल 6.58 लाख स्कूलों (67.63%) और 7.16 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (67.43%) ने अपने पानी के नमूनों का परीक्षण किया, जिससे युवा शिक्षार्थियों को सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हुई।

जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए महिलाओं का प्रशिक्षण

महिलाओं को परिवर्तन एजेंट के रूप में सशक्त बनाने के लिए अभियान ने उन्हें जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए 4.59 लाख गांवों (76.41%) से चौंका देने वाली 21.80 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। इस पहल का उद्देश्य जलापूर्ति की गुणवत्ता की निगरानी और सुनिश्चित करने में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है।

उपचारात्मक कार्रवाई और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य

अभियान के दौरान रिपोर्ट किए गए दूषित नमूनों में से प्रभावशाली 90.34% पर उपचारात्मक कार्रवाई की गई, जो पानी की गुणवत्ता के मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए हितधारकों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अभियान के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के प्रदर्शन का भी आकलन किया गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे, जिन्होंने एसजेएसएस अभियान को लागू करने में अपने समर्पण और प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया।

पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना ने महामारी द्वारा लाए गए चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत में स्ट्रीट वेंडर्स को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। हाल ही में, सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों की ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए एक मोबाइल ऐप का अनावरण किया।

मोबाइल ऐप लॉन्च करना: एक गेम-चेंजर

पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया था, जो वेंडरों को आसानी से ऋण के लिए आवेदन करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल मंच प्रदान करता है। ऋण आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके, ऐप अनावश्यक कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक जटिलताओं को समाप्त करता है, वित्तीय सहायता चाहने वाले सड़क विक्रेताओं के लिए एक सहज और कुशल अनुभव सुनिश्चित करता है।

आर्थिक तनाव के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता करना

पीएम स्वनिधि योजना का प्राथमिक उद्देश्य महामारी से प्रेरित आर्थिक तनाव के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करना है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, यह योजना ₹10,000 का कार्यशील पूंजी संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करती है। यह वित्तीय जीवन रेखा विक्रेताओं को उनकी तत्काल व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने और अनिश्चित समय के दौरान उनकी आजीविका को बनाए रखने में सक्षम बनाती है।

ब्याज सब्सिडी: वित्तीय बोझ को कम करना

पीएम स्वनिधि योजना की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक 7% ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है। यह सब्सिडी स्ट्रीट वेंडर्स पर वित्तीय बोझ को काफी कम कर देती है, जिससे उनके लिए अपना ऋण चुकाना आसान हो जाता है। ₹20,000 और ₹50,000 के बाद के ऋण भी उपलब्ध होने के साथ, स्ट्रीट वेंडर्स के पास बढ़े हुए वित्तीय संसाधनों तक पहुंच है जो उन्हें अपने व्यवसायों के विस्तार और स्थिर करने में मदद कर सकते हैं।

उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र: औपचारिकता को बढ़ावा देना

लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र स्ट्रीट वेंडर्स के कारोबार को औपचारिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रमाणपत्र किसी व्यवसाय को पंजीकृत करने की प्रक्रिया को सरल करता है और स्ट्रीट वेंडर्स को कई लाभ प्रदान करता है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने से, विक्रेता विभिन्न सरकारी योजनाओं और ऋण सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करते हैं, जिससे अधिक अवसरों और विकास के द्वार खुलते हैं।

असाधारण प्रदर्शन को पहचानना

पीएम स्वनिधि योजना ने कई ऋण देने वाली संस्थाओं और राज्यों द्वारा असाधारण प्रदर्शन देखा है। हाल ही में, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक जैसे संस्थानों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। उनके समर्थन और समर्पण ने योजना की सफलता सुनिश्चित करने और जरूरतमंद रेहड़ी-पटरी वालों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रभाव और उपलब्धियां

30 जून, 2023 तक, पीएम स्वनिधि योजना ने 48.5 लाख ऋण आवेदनों को मंजूरी दी है, जिसमें 46.4 लाख से अधिक ऋण पूरे भारत में स्ट्रीट वेंडर्स को वितरित किए गए हैं। यह कुल ₹5,795 करोड़ के ऋण वितरण के बराबर है, जो रेहड़ी-पटरी वालों को बहुत आवश्यक वित्तीय स्थिरता और सशक्तिकरण प्रदान करता है। इसके अलावा, इस योजना ने 36 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे उन्हें चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिदृश्य में अपने व्यवसाय को बनाए रखने और विकसित करने का अवसर मिला है।

राजद्रोह कानून पर विधि आयोग की रिपोर्ट

भारत के विधि आयोग ने हाल ही में राजद्रोह के कानून में प्रमुख संशोधनों का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य स्पष्टता सुनिश्चित करते हुए और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए कथित दुरुपयोग को रोकना है। आइए इन प्रस्तावित परिवर्तनों और उनके संभावित प्रभाव के विवरण में तल्लीन करें।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के मार्गदर्शन में, भारत के विधि आयोग को राजद्रोह के कानून से संबंधित चिंताओं को दूर करने का काम सौंपा गया है। 2016 में गृह मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे को आयोग को भेजा गया था, जिससे मौजूदा प्रावधानों की व्यापक समीक्षा हुई।

वर्तमान कानून को समझना

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A वर्तमान में राजद्रोह को आजीवन कारावास या तीन साल तक के कारावास के साथ-साथ जुर्माने के रूप में परिभाषित करती है। सजा की गंभीरता का निर्धारण करने के लिए अदालतों को व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करने के लिए इस प्रावधान की आलोचना की गई है, जिससे संभावित रूप से मनमाना निर्णय लिया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

पिछले साल, राजद्रोह कानून के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताओं के जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रूप से इसके संचालन पर रोक लगा दी थी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने कानून के आवेदन के संबंध में आशंका व्यक्त की। हालाँकि, 1962 में, केदारनाथ सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने धारा 124A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिससे हिंसा भड़काने वालों के लिए इसका दायरा कम हो गया।

स्पष्टता के लिए प्रस्तावित संशोधन

राजद्रोह से जुड़ी अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए, विधि आयोग केदारनाथ सिंह के फैसले के अनुपात निर्णयों को शामिल करने की सिफारिश करता है। यह समावेश प्रावधान की व्याख्या और आवेदन में अधिक स्पष्टता लाएगा। ऐसा करके, प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना है।

सजा समानता और सुरक्षा

आयोग आगे आईपीसी के अध्याय VI के तहत अन्य अपराधों के साथ समानता सुनिश्चित करने के लिए धारा 124ए के तहत सजा में संशोधन करने का सुझाव देता है। इस कदम से समान अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा की गंभीरता में विसंगतियों से बचने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए, आयोग केंद्र सरकार द्वारा आदर्श दिशानिर्देश जारी करने की वकालत करता है, जो राजद्रोह कानून के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

प्रक्रियात्मक सुरक्षा

Mobile No.- 8824395504, 8290664069
Mail ID-acsajaipur@gmail.com
https://t.me/ACSAJAIPUR4IAS https://www.instagram.com/acsajaipur/ https://www.facebook.com/acsajaipur

प्रक्रियात्मक सुरक्षा के रूप में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 196(3) के समान प्रावधान को शामिल करने की भी सिफारिश की गई है। यह प्रावधान आईपीसी की धारा 124ए के तहत एक अपराध के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने से पहले आवश्यक जांच और संतुलन पेश करेगा।

नमक गुफा आधारित तेल भंडारण सुविधा

इंजीनियर्स इंडिया (ईआईएल), एक सरकारी स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म, नमक गुफा-आधारित रणनीतिक तेल भंडार स्थापित करने की क्षमता और व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए राजस्थान में एक अध्ययन कर रही है। यह पहल देश की रणनीतिक तेल भंडारण क्षमता को बढ़ाने के भारत सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है। सफल होने पर, यह मंगलुरु, पदुर और विशाखापत्तनम में मौजूदा तीन रणनीतिक तेल भंडारण सुविधाओं के पूरक के रूप में भारत की पहली नमक गुफा-आधारित तेल भंडारण सुविधा को चिह्नित करेगा।

रणनीतिक कच्चे तेल के भंडार के महत्व को समझना

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बड़े व्यवधानों को कम करने के लिए देश सामरिक कच्चे तेल के भंडार विकसित करते हैं। भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के साथ, अपनी आवश्यकताओं के 85% से अधिक के लिए आयात पर निर्भर होने के कारण, सामरिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) वैश्विक आपूर्ति झटके और आपात स्थितियों के दौरान ऊर्जा सुरक्षा और उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में वर्तमान सामरिक तेल भंडारण क्षमता

भारत के मौजूदा रणनीतिक तेल भंडार की क्षमता 5.33 मिलियन टन है, जो लगभग 39 मिलियन बैरल कच्चे तेल के बराबर है। यह क्षमता लगभग 9.5 दिनों तक देश की मांग को बनाए रख सकती है। एसपीआर को और मजबूत करने के लिए, भारत दो स्थानों पर संचयी 6.5 मिलियन टन भंडारण क्षमता का विस्तार कर रहा है: ओडिशा में चांदीखोल (4 मिलियन टन) और पदुर (2.5 मिलियन टन)।

साल्ट कैवर्न-आधारित भंडारण सुविधाओं के लाभ

रॉक गुफा-आधारित भंडारण की तुलना में नमक गुफा-आधारित भंडारण सुविधाएं विशिष्ट लाभ प्रदान करती हैं। उत्खनन की आवश्यकता वाली रॉक गुफाओं के विपरीत, नमक की गुफाएं समाधान खनन, एक सरल, तेज और कम लागत वाली प्रक्रिया के माध्यम से बनाई जाती हैं। इन सुविधाओं को स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से सील कर दिया गया है, जिससे तेल के तेजी से इंजेक्शन और निष्कर्षण को सक्षम किया जा सकता है। गुफाओं के अंदर नमक की परत तरल और गैसीय हाइड्रोकार्बन के खिलाफ एक अभेद्य बाधा के रूप में कार्य करती है, जिससे उन्हें भंडारण के लिए आदर्श बना दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, नमक कैवर्न-आधारित भंडारण को मुख्य रूप से सतह से संचालित किया जा सकता है, आगे के संचालन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है।

सफलता की कहानी: संयुक्त राज्य अमेरिका का सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व

संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा आपातकालीन तेल भंडारण, सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर) स्थापित किया है। यह टेक्सास और लुइसियाना में मैक्सिको तट की खाड़ी के साथ नमक के गुंबदों में स्थित नमक गुफा-आधारित भंडारण सुविधाओं पर निर्भर करता है। लगभग 727 मिलियन बैरल की संचयी क्षमता के साथ, US SPR सफल सॉल्ट केवर्न-आधारित रणनीतिक तेल भंडार के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।

साल्ट कैवर्न-आधारित स्टोरेज के लिए राजस्थान की क्षमता

पर्याप्त नमक संरचनाओं से संपन्न राजस्थान नमक गुफा आधारित सामरिक भंडारण सुविधाओं के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों की पेशकश करता है। बीकानेर में रणनीतिक तेल भंडार बनाने के पिछले प्रयास सफल नहीं हुए। हालांकि, EIL और जर्मनी के DEEP.KBB GmbH के बीच साझेदारी ने सॉल्ट केवर्न-आधारित भंडारण के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता की खाई को पाट दिया है। बाड़मेर में आगामी रिफाइनरी और मौजूदा कच्ची पाइपलाइनों के साथ, राजस्थान का बुनियादी ढांचा रणनीतिक तेल भंडार की स्थापना के लिए अनुकूल है।

हेलमंद नदी विवाद

हेलमंद नदी से जल संसाधनों के वितरण को लेकर ईरान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। सीमा पर ईरानी और तालिबान सैनिकों के बीच संघर्ष सहित हालिया घटनाओं ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है।

हेलमंद नदी अफगानिस्तान और ईरान दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में कार्य करती है, इस क्षेत्र में कृषि, आजीविका और पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करती है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में काबुल के पास से निकलकर, नदी हमुन झील में गिरने से पहले लगभग 1,150 किलोमीटर (715 मील) तक बहती है, जो अफगानिस्तान-ईरान सीमा पर फैली हुई है।

दुर्भाग्य से, हामून झील, जो कभी ईरान की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील थी, समय के साथ अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गई है। सूखे और बांधों के प्रभाव और जल नियंत्रण जैसे कारकों ने झील को सूखने का कारण बना दिया है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के लिए गंभीर पर्यावरणीय और आर्थिक परिणाम सामने आए हैं।

हेलमंद नदी संधि और असहमति

नदी के पानी के आवंटन को विनियमित करने के लिए, ईरान और अफगानिस्तान ने 1973 में हेलमंड नदी संधि पर हस्ताक्षर किए। हालांकि, समझौते को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, जिसके चलते असहमति और तनाव जारी रहा। ईरान ने अफ़ग़ानिस्तान पर अपने जल अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, यह दावा करते हुए कि उसे संधि में तय की गई राशि से काफ़ी कम पानी मिलता है। दूसरी ओर, अफ़ग़ानिस्तान, नदी के पानी की मात्रा में कमी का श्रेय कम वर्षा जैसे जलवायु संबंधी कारकों को देता है।

तेहरान-तालिबान संबंध

ईरान और तालिबान के बीच जटिल संबंध हैं। जबकि तेहरान ने 2021 में काबुल पर कब्जा करने से पहले तालिबान के साथ अच्छे संबंध बनाए थे, सीमा पर होने वाली घटनाओं ने उनकी बातचीत को तनावपूर्ण बना दिया है। जल अधिकारों से संबंधित समझौतों का सम्मान करने की तालिबान की अनिच्छा ने तनाव में इजाफा किया है। जल विवाद के स्थायी समाधान के लिए दोनों देशों के अधिकारियों और विशेषज्ञों के बीच घनिष्ठ सहयोग और सूचना साझा करने की आवश्यकता है।

अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण प्रक्षेपण

भारत सफल मिसाइल प्रक्षेपणों के माध्यम से अपनी रणनीतिक रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सामरिक बल कमान द्वारा अग्नि-1 मिसाइल का हालिया प्रशिक्षण प्रक्षेपण सटीक और तकनीकी प्रगति के लिए देश की प्रतिबद्धता के लिए एक वसीयतनामा के रूप में है।

भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि-1 मिसाइल के सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण के साथ एक और उपलब्धि हासिल की है। सामरिक बल कमांड द्वारा आयोजित मिसाइल प्रक्षेपण, मिसाइल के परिचालन और तकनीकी पहलुओं की सफलतापूर्वक पुष्टि और पुष्टि करता है। सटीकता की एक उल्लेखनीय डिग्री के साथ लक्ष्यों को भेदने की क्षमता के साथ, अग्नि -1 मिसाइल ने अपनी प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया और अपनी सामरिक निवारक क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत के समर्पण को प्रदर्शित किया।

अग्नि-V:

भारत की उल्लेखनीय मिसाइल उपलब्धियों में अग्नि-5 है, जिसका 5,000 किमी तक की सीमा के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। लंबी दूरी की यह बैलिस्टिक मिसाइल मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत करती है और इसकी सामरिक रक्षा क्षमताओं में इजाफा करती है। अग्नि-5 की प्रभावशाली रेंज इसे दूर के स्थानों को निशाना बनाने में सक्षम बनाती है, जिससे भारत की प्रतिरोधक क्षमताओं में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है।

अग्नि 1 से 4 मिसाइलों की रेंज

भारत के मिसाइल शस्त्रागार में अग्नि 1 से 4 मिसाइलें शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलग-अलग रेंज हैं। अग्नि 1 मिसाइल की रेंज 700 किमी है, जबकि अग्नि 2 2,000 किमी तक फैली हुई है। अग्नि 3 3,000 किमी की सीमा को कवर करती है, और अग्नि 4 की प्रभावशाली सीमा 3,500 किमी है। यह सीमा विविधता भारत को अलग-अलग सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति देती है और विभिन्न परिदृश्यों में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करती है।

एंडो-वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण

अप्रैल में, भारत ने एंडो-वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल के सफल प्रथम उड़ान परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। परीक्षण बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट पर हुआ। इस समुद्र आधारित मिसाइल परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य एक शत्रुतापूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को शामिल करना और बेअसर करना था। यह उपलब्धि बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है और देश को ऐसी ताकत रखने वाले देशों के एक कुलीन क्लब के बीच रखती है।

सामरिक क्षमताओं को मजबूत करना

अपनी रणनीतिक निवारक क्षमता को विकसित करने और बढ़ाने पर भारत का निरंतर ध्यान राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा तैयारियों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अग्नि श्रृंखला और एंडो-वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल सहित सफल मिसाइल प्रक्षेपण, अपनी रक्षा प्रणालियों को परिष्कृत करने और उभरती चुनौतियों के साथ तालमेल रखने के लिए भारत के समर्पण को प्रदर्शित करता है।

यूजीसी (मानित विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023

केंद्र ने हाल ही में यूजीसी (विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान) विनियम, 2023 जारी किए हैं, जो डीम्ड विश्वविद्यालय बनने के इच्छुक संस्थानों के लिए पात्रता मानदंड में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। इन संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य देश में अधिक गुणवत्ता-केंद्रित डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्थापना करना है।

नए दिशानिर्देश पिछले 2019 दिशानिर्देशों को प्रतिस्थापित करते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ संरेखित होते हैं। प्रमुख परिवर्तनों में से एक पात्रता मानदंड का सरलीकरण है, जो अब बहु-विषयक, एनएएसी ग्रेडिंग, एनआईआरएफ रैंकिंग और एनबीए ग्रेडिंग पर जोर देता है। ऐसे संस्थान जो इन क्षेत्रों में विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, डीम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नया पात्रता मानदंड

अद्यतन दिशानिर्देशों के अनुसार, एक बहु-अनुशासनात्मक संस्थान डीम्ड स्थिति प्राप्त करने के लिए पात्र है, जब उसके पास लगातार तीन चक्रों के लिए 3.01 से कम के संचयी ग्रेड बिंदु औसत (CGPA) के साथ वैध NAAC मान्यता है। इसके अलावा, लगातार तीन चक्रों में पात्र कार्यक्रमों के दो-तिहाई के लिए एनबीए प्रत्यायन प्राप्त किया जाना चाहिए, या संस्थान को पिछले तीन वर्षों से लगातार एनआईआरएफ की किसी विशिष्ट श्रेणी में शीर्ष 50 में रैंक करना चाहिए।

क्लस्टर संस्थानों का समावेश

दिशानिर्देश डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस के लिए आवेदन करने के लिए कई प्रायोजन निकायों या समाजों द्वारा प्रबंधित संस्थानों के समूह को भी अनुमति देते हैं। यह प्रावधान गुणवत्ता-केंद्रित संस्थानों की स्थापना में सहयोग और सामूहिक प्रयासों को सक्षम बनाता है।

फैकल्टी स्ट्रेंथ और कॉर्पस फंड की आवश्यकता में वृद्धि

संशोधित दिशा-निर्देश डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए एक मजबूत शैक्षणिक आधार सुनिश्चित करते हुए फैकल्टी की आवश्यकता को 100 से बढ़ाकर 150 कर देते हैं। निजी संस्थानों के मामले में, वित्तीय स्थिरता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पस फंड की आवश्यकता को ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹25 करोड़ कर दिया गया है।

क्रेडिट के अकादमिक बैंक पर पंजीकरण

शैक्षणिक लचीलेपन और छात्र गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए, संशोधित दिशानिर्देश डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) पर पंजीकरण करना अनिवार्य बनाते हैं। यह पंजीकरण संस्थानों को संबंधित विनियमों के अनुरूप जुड़वाँ कार्यक्रम, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम और दोहरी डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

ऑफ-कैंपस केंद्रों की स्थापना

विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले डीम्ड विश्वविद्यालय, जैसे कि न्यूनतम 'ए' ग्रेड या एनआईआरएफ रैंकिंग की "विश्वविद्यालय" श्रेणी में 1 से 100 तक रैंक किया जाना, ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने के लिए पात्र हैं। यह प्रावधान डीम्ड विश्वविद्यालयों को विभिन्न क्षेत्रों की विविध शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी पहुंच और प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम बनाता है।

फार्मास्युटिकल इंस्पेक्शन कन्वेंशन और फार्मास्युटिकल इंस्पेक्शन को-ऑपरेशन स्कीम (PIC/S)

भारत फार्मास्युटिकल इंस्पेक्शन कन्वेंशन और फार्मास्युटिकल इंस्पेक्शन को-ऑपरेशन स्कीम (PIC/S) में शामिल होकर अपने चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता को मजबूत करने और बाजार पहुंच में सुधार करने के लिए तैयार है। यह निर्णय गाम्बिया में 66 बच्चों की दुखद मौत जैसी घटनाओं के जवाब में आया है, जो जहरीले भारतीय-निर्मित कफ सिरप से जुड़े थे, साथ ही साथ संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी जैसे गुणवत्ता-जागरूक क्षेत्रों में भारतीय चिकित्सा उत्पादों के सामने बाजार पहुंच की चुनौतियां थीं। सहयोग परिषद। पीआईसी/एस में शामिल होने से भारत वैश्विक मानकों को अपनाने में सक्षम होगा और देशों के बीच सहयोग और नियामक प्रथाओं को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

चिकित्सा उत्पाद की गुणवत्ता और उद्योग मानकों में सुधार

पीआईसी/एस के तहत, भारत के उद्योग, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक मानकों को अपनाने की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से अच्छी विनिर्माण प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना। यह कदम न केवल गाम्बिया की घटना के समान त्रासदियों को रोकने में मदद करेगा बल्कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बाजार की पहुंच को भी सुगम बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ संरेखित करके, उपभोक्ताओं और नियामकों को आश्वासन प्रदान करते हुए, भारत के चिकित्सा उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा।

बाजार की बाधाओं को दूर करना

संयुक्त अरब अमीरात, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, और अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं सहित कुछ देश विकसित बाजारों से संदर्भ कीमतों को अपने स्वयं के मूल्य निर्धारित करने के लिए नियुक्त करते हैं। यह दृष्टिकोण अनजाने में सस्ती भारतीय दवाओं के लिए

उनकी बेहतर गुणवत्ता के बावजूद बाधा के रूप में कार्य करता है। पीआईसी/एस का सदस्य बनने से, भारत की कीमतों को भी संदर्भित करने पर विचार किया जाएगा, जिससे देश को इन बाजार बाधाओं को दूर करने और इन क्षेत्रों तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

तस्वीर / एस की भूमिका

पीआईसी/एस सदस्य देशों के बीच अच्छे विनिर्माण अभ्यास से संबंधित पहलुओं को सुसंगत बनाने, शिक्षित करने और अद्यतन करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, यह नियामक प्राधिकरणों और सरकारों के बीच संबंधों और समन्वय को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीआईसी/एस में भाग लेकर, भारत अपने विनिर्माण प्रोटोकॉल और गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करेगा, सदस्य देशों में एकरूपता और अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

वैश्विक सहयोग और सदस्यता

PIC/S के पास एक प्रमुख सदस्यता आधार है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस और अन्य देश शामिल हैं। यह सहयोग भाग लेने वाले देशों को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, ज्ञान का आदान-प्रदान करने और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सामूहिक रूप से बढ़ाने की अनुमति देता है। पीआईसी/एस में भारत की सदस्यता इन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेगी, जिससे विशेषज्ञता का व्यापक आदान-प्रदान होगा और देश अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल मानकों में सबसे आगे रहेगा।

एससीआरए के प्रावधान 23(ई) पर सेबी-सैट गतिरोध

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) वर्तमान में प्रतिभूति कानून में एक विशिष्ट प्रावधान की व्याख्या को लेकर गतिरोध में उलझे हुए हैं।

गतिरोध के केंद्र में प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम (एससीआरए) का प्रावधान 23 (ई) है। इस प्रावधान में कहा गया है कि लिस्टिंग शर्तों का उल्लंघन करने वाली किसी भी कंपनी पर 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, "लिस्टिंग शर्तों" की व्याख्या के संबंध में सेबी और सैट के बीच असहमति है।

लिस्टिंग शर्तों पर भिन्न विचार

सेबी ने यह रुख अपनाया है कि अधिनियम में निर्दिष्ट "लिस्टिंग शर्तें" लिस्टिंग नियमों के उल्लंघन का संदर्भ देती हैं। दूसरी ओर, एसएटी इस व्याख्या को खारिज करता है और तर्क देता है कि प्रावधान केवल तभी लागू होता है जब लिस्टिंग की शर्तें पूरी नहीं होती हैं। नतीजतन, सैट ने सूचीबद्ध-समझौते के उल्लंघन से संबंधित आधा दर्जन से अधिक सेबी के आदेशों को पलट दिया है।

गतिरोध पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

गतिरोध के अनसुलझे होने के साथ ही यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना इस मुद्दे से संबंधित अपीलों पर सुनवाई करेंगे। इस विकास ने कानूनी विशेषज्ञों और समाधान की प्रतीक्षा कर रहे बाजार सहभागियों का महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है।

'लिस्टिंग शर्तों' और 'लिस्टिंग एग्रीमेंट की शर्तों' में अंतर करना

कानूनी विशेषज्ञ SCRA के तहत "लिस्टिंग शर्तों" और "लिस्टिंग एग्रीमेंट की शर्तों" के बीच के अंतर को उजागर करते हैं। उनका तर्क है कि "लिस्टिंग एग्रीमेंट की शर्तों" का उल्लंघन एक अलग प्रावधान, SCRA की धारा 23(2) के तहत आता है। नतीजतन, वे दावा करते हैं कि प्रावधान 23 (ई) के तहत लगाए गए दंड केवल "लिस्टिंग शर्तों" के उल्लंघन पर लागू होने चाहिए।

सेबी द्वारा धारा 23(ई) का उपयोग

सेबी ने सूचीबद्धता-समझौते के उल्लंघन से जुड़े कई मामलों में धारा 23(ई) का इस्तेमाल किया है। प्रसिद्ध सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड मामले के अलावा, सेबी ने मैन इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, आईएफजीएल रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड और विनसम यार्न्स लिमिटेड से संबंधित मामलों में इस प्रावधान के तहत जुर्माना लगाया है। एसएटी ने सेबी द्वारा धारा 23 (ई) के बार-बार उपयोग पर असंतोष व्यक्त किया है।) सुजलॉन मामले में इसके फैसले के बावजूद।

अधिकतम जुर्माना और लिस्टिंग-समझौते का उल्लंघन

विशेष रूप से, धारा 23 (ई) अधिकतम ₹ 25 करोड़ का जुर्माना लगाती है, जबकि लिस्टिंग-समझौते के उल्लंघन के लिए विशिष्ट धारा अधिकतम ₹ 1 करोड़ का जुर्माना लगाती है। इस विसंगति ने उल्लंघन के पैमाने और प्रकृति के आधार पर आनुपातिक दंड के बारे में चिंताओं को जन्म दिया है।

इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या है?

ओडिशा के बालासोर में हाल ही में हुई ट्रेन दुर्घटना ने रेलवे प्रणाली में लागू किए गए सुरक्षा उपायों और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है।

रेलवे प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करके ट्रेनों के बीच परस्पर विरोधी आंदोलनों को रोकना है कि सिगनल अनुचित क्रम में नहीं बदले गए हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मार्ग सुरक्षित साबित होने पर ही ट्रेनों को आगे बढ़ने का संकेत मिले।

ट्रेन हादसे की वजह

बालासोर में दुखद रेल दुर्घटना इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुई थी। दुर्घटना इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रक्रिया के दौरान हुए बदलाव के कारण हुई थी। विवरण निर्धारित करने और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए एक जांच चल रही है।

जांच की जिम्मेदारी

रेल सुरक्षा आयुक्त को ट्रेन हादसे की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह निकाय घटना की गहन जांच करेगा, सबूत इकट्ठा करेगा और दुर्घटना में योगदान देने वाले कारकों का निर्धारण करेगा।

हताहतों की संख्या और ट्रेन भागीदारी

दुख की बात है कि ट्रेन दुर्घटना में 288 लोगों की जान चली गई, जबकि 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। इस घटना में तीन अलग-अलग ट्रेनें शामिल थीं: बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी। यात्री ट्रेनों के सत्रह डिब्बे पटरी से उतर गए और गंभीर क्षति हुई।

बचाव कार्यों में शामिल इकाइयां

कई इकाइयों की सहायता से बचाव अभियान चलाया गया। सात राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) टीमों, पांच ओडिशा आपदा रैपिड एक्शन फोर्स (ओडीआरएएफ) इकाइयों, और 24 अग्निशमन सेवाओं और आपातकालीन इकाइयों ने बचाव और राहत प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

भारतीय रेलवे में पटरी से उतरना

2022 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा "भारतीय रेलवे में पटरी से उतरना" शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में कई कमियों को चिन्हित किया गया और रेलवे की सुरक्षा में सुधार के लिए कई सिफारिशें प्रदान की गईं।

Mobile No.- 8824395504, 8290664069
Mail ID-acsajaipur@gmail.com
https://t.me/ACSAJAIPUR4IAS https://www.instagram.com/acsajaipur/ https://www.facebook.com/acsajaipur

कमियों और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना

सीएजी रिपोर्ट में उजागर की गई महत्वपूर्ण कमियों में से एक उचित निरीक्षण करने में विफलता थी। रिपोर्ट से पता चला कि ट्रैक रिकॉर्डिंग कारों द्वारा निरीक्षण, जो रेलवे पटरियों की ज्यामितीय और संरचनात्मक स्थितियों का आकलन करने में महत्वपूर्ण हैं, 30-100% तक की कमी का अनुभव किया। इसने ट्रैक आकलन की सटीकता और प्रभावशीलता के बारे में चिंता जताई।

इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में दुर्घटनाओं के बाद पूछताछ रिपोर्ट प्रस्तुत करने और स्वीकार करने में विफलताओं को चिह्नित किया गया। उचित दस्तावेज़ीकरण और विश्लेषण की इस कमी ने पिछली घटनाओं से सीखने और आवश्यक निवारक उपायों को लागू करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न की।

एक अन्य संबंधित पहलू समर्पित रेलवे निधि का अपर्याप्त उपयोग था। रिपोर्ट में बताया गया है कि सुरक्षा से संबंधित प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए दी गई राशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था। इससे रेलवे प्रणाली के भीतर संसाधनों के आवंटन और प्रबंधन पर सवाल उठे।

रिपोर्ट में ट्रैक नवीनीकरण के लिए फंडिंग में गिरावट पर भी प्रकाश डाला गया, जो महत्वपूर्ण संख्या में पटरी से उतरने से जुड़ा था। 2017 से 2021 तक कुल घटनाओं में से 26% के लिए लगभग 289 डिरेलमेंट, ट्रैक नवीनीकरण के लिए जिम्मेदार थे। इसने रेलवे पटरियों के रखरखाव और उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए निवेश प्राथमिकताओं के पुनर्मूल्यांकन का आह्वान किया।

पटरी से उतरना और खराब ड्राइविंग की भूमिका

पटरी से उतरने में योगदान देने वाले कारकों में, रिपोर्ट में खराब ड्राइविंग और ओवरस्पीडिंग की भूमिका पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कुल 1129 दुर्घटनाओं में से 154 दुर्घटनाओं के लिए लोको पायलटों को जिम्मेदार ठहराया गया था। इसने ट्रेन चालकों द्वारा बेहतर प्रशिक्षण, निगरानी और सुरक्षा प्रोटोकॉल के सख्त पालन की आवश्यकता को रेखांकित किया।

ट्रैक प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) में परिचालन संबंधी चुनौतियाँ

कैग की रिपोर्ट ने ट्रैक प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) की गैर-परिचालन स्थिति के बारे में चिंता जताई, जो ट्रैक रखरखाव गतिविधियों की निगरानी के लिए एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है। टीएमएस पोर्टल का अंतर्निहित निगरानी तंत्र निष्क्रिय पाया गया था, और महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि निरीक्षण नोट्स को बंद करना, ठीक से दर्ज नहीं किया गया था। इसने ट्रैक रखरखाव कार्यों की देखरेख के लिए एक कुशल और कार्यात्मक प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए सिफारिशें

निष्कर्षों के आलोक में, CAG की रिपोर्ट ने भारत की ट्रेन प्रणाली की सुरक्षा में सुधार के लिए कई सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इसने समय पर समाधान और निवारक उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दुर्घटना पूछताछ के लिए निर्धारित समय-सीमा के सख्त पालन के महत्व पर बल दिया। रिपोर्ट में ट्रैक रखरखाव के पूरी तरह से यंत्रीकृत तरीकों को अपनाने और सुरक्षा संचालन को बढ़ाने के लिए बेहतर तकनीकों के उपयोग पर भी जोर दिया गया है।

नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना

उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास और उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत की है। 1,000 करोड़ रुपये के बजट वाली इस पहल का उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को सशक्त बनाना और उन्हें डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने का अवसर प्रदान करना है।

नंद बाबा दुग्ध मिशन का प्राथमिक उद्देश्य उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों को सशक्त बनाना है। डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करके, मिशन का उद्देश्य उत्पादकों को उनके दूध के लिए उचित और उचित मूल्य प्रदान करना है, जिससे उनकी आर्थिक भलाई सुनिश्चित हो सके।

डेयरी किसान उत्पादक संगठनों (डेयरी एफपीओ) की स्थापना

नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत राज्य के 5 जिलों में डेयरी किसान उत्पादक संगठन (डेयरी एफपीओ) स्थापित करने की योजना है। ये संगठन सीधे उत्पादकों के गांवों में दूध की बिक्री को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डेयरी एफपीओ में महिलाओं की भागीदारी लैंगिक समावेश और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि आधारित बुनियादी ढांचे को मजबूत करना

डेयरी विकास विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों के दूध के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। डेयरी एफपीओ की स्थापना के माध्यम से, मिशन का उद्देश्य गांवों में दूध की बिक्री को बढ़ाना है, जो उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देता है।

यूपी का परिवार पहचान पोर्टल

उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार इकाइयों का एक व्यापक डेटाबेस बनाने और रोजगार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए परिवार आईडी पोर्टल लॉन्च किया है।

वर्धित लाभों के लिए एक व्यापक डेटाबेस का निर्माण

फैमिली आईडी पोर्टल बिना राशन कार्ड वाले परिवारों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कवर नहीं किए गए परिवारों के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य परिवार इकाइयों का एक व्यापक डेटाबेस स्थापित करना, सरकारी लाभों के लक्षित वितरण को सक्षम करना और प्रक्रिया में पारदर्शिता में सुधार करना है।

सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाना

बिना राशन कार्ड वाले परिवार पोर्टल के माध्यम से एक अद्वितीय परिवार आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आईडी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। पोर्टल पर पंजीकरण कराने से ये परिवार रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्राप्त करते हैं, इस प्रकार आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।

रोजगार अभाव की पहचान

फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डेटाबेस के माध्यम से, रोजगार के अवसरों की कमी वाले परिवारों की पहचान की जा सकती है और नौकरी लगाने की पहल के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है। व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तरों पर बेरोजगारी की चिंताओं को दूर करके, पोर्टल आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सत्यापन में दक्षता बढ़ाना

फैमिली आईडी आवेदन प्रक्रिया में नामित अधिकारियों द्वारा सत्यापन शामिल है। शहरी क्षेत्र उप जिलाधिकारी पर निर्भर होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी और पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी शामिल होते हैं। यह सत्यापन प्रक्रिया डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए परिवार की जानकारी के प्रमाणीकरण को सुव्यवस्थित करती है।

सरकारी योजनाओं की क्षमता को अनलॉक करना

फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डेटाबेस लाभार्थी योजनाओं के बेहतर प्रबंधन को सक्षम बनाता है। समय पर लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन और सुविधाओं तक पहुंच अधिक प्राप्त करने योग्य हो जाती है, जिससे पात्र परिवारों को सरकारी पहलों से प्रभावी रूप से लाभ मिल सके।

आत्मनिर्भरता और अधिकारिता को बढ़ावा देना

फैमिली आईडी पोर्टल उत्तर प्रदेश में प्रत्येक परिवार के लिए आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की व्यापक दृष्टि में योगदान देता है। बिना राशन कार्ड वाले परिवारों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच का विस्तार करके, पोर्टल यह सुनिश्चित करता है कि कमजोर परिवार पीछे न छूटे और सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

आंतरिक रूप से विस्थापितों पर मिजोरम सरकार की उच्च स्तरीय समिति

मिजोरम सरकार ने मणिपुर से आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लालचमलियाना के नेतृत्व में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों पर उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, आईडीपी से संबंधित निर्णयों को लागू करने के लिए एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। इन पहलों का उद्देश्य जातीय संघर्षों से प्रभावित लोगों को राहत और मानवीय सहायता प्रदान करना है।

गृह और आपदा प्रबंधन मंत्री लालचमलियाना मिजोरम में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। सदस्य सचिव के रूप में एच. लालेंगमाविया के साथ कार्यकारी समिति, आईडीपी से संबंधित निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इन समितियों का प्राथमिक उद्देश्य आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के कल्याण के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित करना है।

शरणार्थी और विस्थापित जनसंख्या

मिजोरम वर्तमान में म्यांमार से 40,000 से अधिक शरणार्थियों को आश्रय प्रदान करता है जो सैन्य जुंटा के कारण अपने देश से भाग गए थे। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश के 772 शरणार्थी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश की सेना की कार्रवाई से बचने के लिए मिजोरम में शरण मांगी है। इसके अलावा, मणिपुर के लगभग 9,000 आईडीपी जातीय संघर्ष का सामना कर रहे हैं और उन्हें समर्थन और सहायता की आवश्यकता है।

राहत और सहायता का प्रावधान

कार्यकारी समिति, विभिन्न विभागों के सहयोग से, मिजोरम में मणिपुर से आईडीपी को राहत और मानवीय सहायता प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। संबंधित विभागों के साथ संपर्क राहत उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है और प्रभावित आबादी की तत्काल जरूरतों को पूरा करता है।

मिजोरम कोहरान हुराइतुते समिति (MKHC)

प्रमुख चर्चों का प्रतिनिधित्व करने वाली मिजोरम कोहरान हुराइतुते समिति, समितियों के प्रयासों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी भागीदारी आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है और मानवीय पहलों में अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है।

पर्यवेक्षण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना

आईडीपी पर उच्च स्तरीय समिति को राहत और बुनियादी मानवीय सहायता के प्रावधान की देखरेख और पर्यवेक्षण करने का काम सौंपा गया है। इन समितियों के माध्यम से, मिजोरम सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आईडीपी को भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सहित आवश्यक समर्थन प्राप्त हो।

NHAI की पहली 'स्थिरता रिपोर्ट'

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने हाल ही में अपनी उद्घाटन 'वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्थिरता रिपोर्ट' जारी की। रिपोर्ट पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एनएचएआई की प्रतिबद्धता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के प्रयासों पर प्रकाश डालती है।

सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट एनएचएआई के संचालन ढांचे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, इसके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देती है। यह एनएचएआई की स्थिरता पहलों में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी पर भी प्रकाश डालता है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को कम करना

NHAI की रिपोर्ट प्रत्यक्ष उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक प्रत्यक्ष उत्सर्जन में 18.44% की कमी मुख्य रूप से ईंधन की खपत में कमी के कारण हुई। इसके अलावा, एनएचएआई अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को और कम करने के लिए सक्रिय रूप से स्वच्छ और हरित ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में गिरावट

रिपोर्ट ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में एक सराहनीय गिरावट पर प्रकाश डालती है। वित्त वर्ष 2020-21 में, ऊर्जा खपत, संचालन, परिवहन और यात्रा से जीएचजी उत्सर्जन में 9.7% की कमी देखी गई, इसके बाद वित्त वर्ष 2021-22 में 2% की गिरावट आई। यह सकारात्मक रुझान पर्यावरण संरक्षण के प्रति एनएचएआई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

संचालन में ऊर्जा दक्षता

एनएचएआई ने अपने संचालन के दौरान ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्त वर्ष 2020-21 में गीगा जूल प्रति किलोमीटर में मापी गई ऊर्जा की तीव्रता में 37% की कमी आई है। अगले वर्ष, इसमें 27% की और कमी देखी गई। ये उपलब्धियां अपने संचालन में टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने पर एनएचएआई के फोकस को दर्शाती हैं।

निर्माण में स्थिरता को बढ़ावा देना

NHAI सक्रिय रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में स्थिरता को बढ़ावा दे रहा है। रिपोर्ट में पिछले तीन वर्षों में फ्लाई-ऐश और प्लास्टिक कचरे जैसे पुनर्नवीनीकरण सामग्री के बढ़ते उपयोग पर प्रकाश डाला गया है। इस पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण का उद्देश्य पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करना है।

वन्यजीव संरक्षण और संरक्षण

मानव-पशु संघर्ष को कम करने और वन्य जीवन की रक्षा के लिए, NHAI ने पिछले तीन वर्षों में 20 राज्यों में 100 से अधिक वन्यजीव क्रॉसिंग बनाए हैं। ये क्रॉसिंग वन्यजीव आवासों की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण उपायों के रूप में काम करते हैं।

वनीकरण और हरित राजमार्ग

एनएचएआई ने पर्यावरण के अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने के लिए व्यापक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। रिपोर्ट में 2016-17 से 2021-22 तक लगाए गए पौधों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई गई है, जिसमें लगभग 2.74 करोड़ पौधे वाहनों से होने वाले प्रत्यक्ष उत्सर्जन की भरपाई के लिए लगाए गए हैं। एनएचएआई इन वृक्षारोपण अभियानों को आयोजित करने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों, सीएसआर भागीदारों और गैर सरकारी संगठनों सहित हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है।

समावेशिता और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देना

महिलाओं के रोजगार और सीमांत समुदायों के रोजगार को बढ़ाने के प्रयासों में एनएचएआई की समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट है। प्रदर्शन-आधारित प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से, NHAI ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में महिला भर्ती में 7.4% की वृद्धि और अपने कार्यबल में कुल 3% की वृद्धि हासिल की है।

नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग 2023

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग 2023 हाल ही में शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह द्वारा जारी की गई थी। ये रैंकिंग देश भर के शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में काम करती हैं।

एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 का अवलोकन

NIRF रैंकिंग में चार प्रमुख श्रेणियां शामिल हैं: कुल मिलाकर, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान। रैंकिंग का उद्देश्य शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान आउटपुट और समग्र संस्थागत गुणवत्ता के संदर्भ में संस्थानों की प्रगति और प्रदर्शन में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। ये रैंकिंग NIRF की आधिकारिक वेबसाइट nirfindia.org पर उपलब्ध हैं।

श्रेणियों और आयामों का विस्तार करना

अपने आठवें संस्करण में, NIRF रैंकिंग चार से बारह श्रेणियों तक विस्तारित हुई है, जिसमें आठ विषय-विशिष्ट रैंकिंग शामिल हैं। यह विस्तार विभिन्न डोमेन में संस्थानों के अधिक व्यापक मूल्यांकन की अनुमति देता है। विषय डोमेन में अब इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, कानून, चिकित्सा, वास्तुकला और योजना, दंत चिकित्सा, और एक नया अतिरिक्त-कृषि और संबद्ध क्षेत्र शामिल हैं।

ओवरऑल कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर्स

समग्र श्रेणी में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास ने पिछले वर्ष की सफलता को बनाए रखते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) अकादमिक उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में उभरा है। इसके अतिरिक्त, IISc बैंगलोर को समग्र श्रेणी में दूसरे सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में मान्यता दी गई थी।

विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता

विश्वविद्यालय रैंकिंग में, IISc बेंगलुरु ने अनुसंधान और शैक्षणिक कौशल के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) ने देश के शैक्षणिक परिदृश्य में उनके योगदान को उजागर करते हुए क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।

इंजीनियरिंग में नेताओं

जब इंजीनियरिंग संस्थानों की बात आती है, तो IIT मद्रास लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा। IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर और IIT रुड़की ने इंजीनियरिंग शिक्षा और अनुसंधान में अपने असाधारण योगदान का प्रदर्शन किया।

उल्लेखनीय प्रबंधन संस्थान

प्रबंधन के क्षेत्र में, भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसने व्यापारिक नेताओं को तैयार करने में अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। IIM बैंगलोर, IIM कोझीकोड, IIM कलकत्ता और IIM दिल्ली को भी प्रबंधन शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

अन्य डोमेन में उपलब्धियों को पहचानना

एनआईआरएफ रैंकिंग अन्य डोमेन जैसे फार्मेसी, कॉलेज, मेडिकल, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इनोवेशन, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में टॉप परफॉर्मर्स को भी स्वीकार करती है। ये रैंकिंग उन संस्थानों पर प्रकाश डालती है जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और उन डोमेन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

एनआईआरएफ रैंकिंग का महत्व

NIRF रैंकिंग भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यापक मूल्यांकन और संस्थानों की तुलना प्रदान करके, रैंकिंग छात्रों को उनकी शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। एनआईआरएफ रैंकिंग देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।

श्रेणियों के विस्तार और भाग लेने वाले संस्थानों की बढ़ती संख्या के साथ, एनआईआरएफ रैंकिंग का विकास और अधिक समावेशी बनना जारी है। वे छात्रों, अभिभावकों और शैक्षिक हितधारकों के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, जिससे उन्हें भारत में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की पहचान करने और उनकी सराहना करने में मदद मिलती है।

अंतरदृष्टि डैशबोर्ड

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में 'अंतरदृष्टि' नामक एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया, जो भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नवोन्मेषी टूल का उद्देश्य प्रासंगिक मापदंडों को कैप्चर करके वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।

अंतरदृष्टि का उद्देश्य: वित्तीय समावेशन की निगरानी करना

अंतरदृष्टि डैशबोर्ड का प्राथमिक उद्देश्य देश भर में वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति का मूल्यांकन और ट्रैक करना है। प्रमुख मेट्रिक्स और संकेतकों का विश्लेषण करके, यह नीति निर्माताओं और हितधारकों को वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति की व्यापक समझ हासिल करने में सक्षम बनाता है। यह वास्तविक समय की निगरानी वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों और पहलों की अनुमति देती है।

आरबीआई द्वारा आंतरिक उपयोग

प्रारंभ में, अंतरदृष्टि डैशबोर्ड का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के भीतर आंतरिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। यह आंतरिक उपयोग केंद्रीय बैंक को विस्तृत स्तर पर वित्तीय बहिष्करण की सीमा का अनुमान लगाने और उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाता है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आंतरिक रूप से इस डेटा की जांच करके, आरबीआई अधिक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार कर सकता है और प्रासंगिक हितधारकों के साथ सहयोग कर सकता है।

वित्तीय समावेशन की सुविधा: एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण

अंतरदृष्टि डैशबोर्ड के प्रमुख लाभों में से एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करने की इसकी क्षमता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न संस्थाओं, जैसे वित्तीय संस्थानों, नियामकों और नीति निर्माताओं को शामिल करके, डैशबोर्ड वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देता है। यह सहयोगी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि विविध दृष्टिकोण और विशेषज्ञता समावेशी नीतियों और पहलों के विकास में योगदान करती है।

वित्तीय समावेशन सूचकांक को समझना

2021 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय समावेशन (FI) सूचकांक को वित्तीय समावेशन के स्तर को सटीक रूप से मापने के लिए एक विश्वसनीय साधन के रूप में तैयार किया। FI इंडेक्स तीन महत्वपूर्ण आयामों पर विचार करता है: 'एक्सेस', 'यूसेज' और 'क्वालिटी'। इसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक सेवाएं और पेंशन सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। सूचकांक वित्तीय समावेशन के विभिन्न

पहलुओं को एक एकल संख्यात्मक मान में संघनित करता है जो 0 से 100 तक होता है। शून्य का स्कोर वित्तीय सेवाओं से कुल बहिष्करण को दर्शाता है, जबकि 100 का स्कोर वित्तीय प्रणाली में व्यापक समावेश को दर्शाता है।

प्रमुख हितधारकों की भागीदारी

FI इंडेक्स के विकास में सरकार, क्षेत्रीय नियामकों और RBI के बीच घनिष्ठ सहयोग शामिल है। इन हितधारकों की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर, भारत में वित्तीय समावेशन का व्यापक अवलोकन प्रदान करने के लिए सूचकांक को सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया था। यह समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि FI सूचकांक वित्तीय समावेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रगति और चुनौतियों को सटीक रूप से दर्शाता है।

सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट्स मिशन

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने अपने प्रकाशन, "सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट्स मिशन" के लॉन्च के साथ स्थिरता और कार्बन तटस्थता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा पुस्तिका का अनावरण किया गया। यह प्रकाशन स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने और इसके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए एएआई द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डालता है।

"सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट्स मिशन" का प्राथमिक उद्देश्य एएआई की स्थिरता पहलों के बारे में हितधारकों को दस्तावेज और सूचित करना है। यह प्रगति को ट्रैक करने, ज्ञान साझा करने को प्रोत्साहित करने और कुशल और टिकाऊ हवाई अड्डे के संचालन को बढ़ाने के लिए सहयोग की तलाश करने के लिए एक व्यापक मंच के रूप में कार्य करता है। पुस्तिका भारत के प्रधान मंत्री द्वारा COP26 में निर्धारित पंचामृत लक्ष्यों के अनुरूप है, जो स्थिरता और कार्बन तटस्थता पर केंद्रित है।

एएआई हवाई अड्डों पर स्थिरता पहल

सुगम स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एएआई हवाईअड्डों द्वारा की गई उल्लेखनीय पहलों को प्रदर्शित करता है। एएआई ने नवीकरणीय स्रोतों से जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा से हरित ऊर्जा में संक्रमण के लिए एक रोडमैप विकसित किया है। कार्बन पदचिह्न को कम करने के उद्देश्य से, एएआई ने ऊर्जा दक्षता का अनुकूलन करने, ऑनसाइट सौर क्षमता बढ़ाने और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों का पता लगाने की योजना बनाई है। विशेष रूप से, एएआई अक्षय स्रोतों के माध्यम से पहले से ही अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लगभग दो-तिहाई को पूरा करता है।

सौर संयंत्र और नवीकरणीय ऊर्जा

एएआई ने अपने हवाई अड्डों पर हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 55 MWp की संयुक्त कमीशन क्षमता वाले सौर संयंत्र 42 AAI हवाई अड्डों पर स्थापित और चालू किए गए हैं, जिससे ये हवाई अड्डे 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने में सक्षम हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करता है बल्कि अन्य हवाई अड्डों के लिए सूट का पालन करने के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है।

शुद्ध शून्य उत्सर्जन की ओर ड्राइविंग

"सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट्स मिशन" केंद्र सरकार के अद्यतन 2030 के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करने के दीर्घकालिक लक्ष्य को समाहित करता है। शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का सामूहिक लक्ष्य। एएआई की स्थिरता पहल एक हरित उड्डयन उद्योग का मार्ग प्रशस्त करती है।

ONE LINER

- मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का ओडिशा में सफल परीक्षण किया गया।

Mobile No.- 8824395504, 8290664069
Mail ID-acsajaipur@gmail.com
https://t.me/ACSAJAIPUR4IAS https://www.instagram.com/acsajaipur/ https://www.facebook.com/acsajaipur

- चंद्रयान -3 अगले महीने के लॉन्च से पहले श्रीहरिकोटा में लॉन्च पोर्ट पर पहुंच गया है।
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 37ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।
- तेलंगाना 2 जून को गठन के 10 साल पूरे करेगा।
- राजस्थान में सभी घरों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा
- अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट
- जीएसटी संग्रह पांचवीं बार 1.5 लाख करोड़ रुपये के पार।
- मई का विनिर्माण पीएमआई 58.7 के 31 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया: एसएंडपी ग्लोबल सर्वे।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसएमई के लिए 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया
- भारत और नेपाल ने ऊर्जा, परिवहन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए; भारत नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करेगा।
- अमेरिका और ताइवान ने दोनों पक्षों के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने के उद्देश्य से व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि चीन ने चेतावनी जारी की।
- पाकिस्तान ने लगातार दूसरे महीने दर्ज की रिकॉर्ड महंगाई; मई में महंगाई दर बढ़कर 37.97% हो गई।
- आंध्र प्रदेश: तीन साल पहले लॉन्च होने के बाद से दिशा मोबाइल ऐप को रिकॉर्ड 1.17 करोड़ पंजीकरण मिले हैं
- बालासोर में दर्दनाक ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या। ओडिशा में मृतकों की संख्या बढ़कर 238 हो गई है और लगभग 900 के गंभीर रूप से घायल होने की आशंका है।
- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत श्रीनगर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना।
- मई तक आधार आधारित भुगतान ब्रिज प्रणाली के माध्यम से 88% वेतन भुगतान किया गया: ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जून में सूरीनाम और सर्बिया की राजकीय यात्रा पर होंगी।
- IRENA रिपोर्ट 'ऊर्जा संक्रमण के लिए कम लागत वाला वित्त' भारत की नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि की प्रशंसा करता है।
- ICAI सेंट्रल काउंसिल ने CPA कनाडा, CPA आयरलैंड के साथ आपसी मान्यता समझौते (MRA) के नवीनीकरण को मंजूरी दी।
- आरबीआई ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे का प्रस्ताव दिया, 30 जून तक फीडबैक मांगा
- जमाखोरी और अटकलों को रोकने के लिए केंद्र ने तूर और उड़द दाल पर स्टॉक सीमा लगाई
- IRDAI ने पूरे भारत में बीमा समावेशन और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई पहल, बीमा वाहक के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- श्रीलंका के कैबिनेट मंत्रियों ने सत्य और सुलह तंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- संयुक्त अरब अमीरात के मौसम विज्ञानी डॉ अब्दुल्ला अल मंडौस को विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) के नए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सूडान में संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मिशन को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है।
- ब्रिक्स विदेश मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग की वकालत की।
- अर्जेंटीना की सेलेस्टे साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया है।
- फिनाले बानेन-टूर्नी 2023 साइकिलिंग: भारत के एसो एल्बेन ने कांस्य पदक जीता।
- तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन वाराणसी में होगा।
- भारतीय पुरुष टीम ने FIH प्रो लीग में बेल्जियम को 5-1 से हराया।